भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **1621** जिसका उत्तर
शुक्रवार, **16 दिसम्बर**, 2022/25 अग्रहायण, 1944 (शक) को दिया जाना है

जल परिवहन का विकास

†1621. श्री एंटो एन्टोनी :

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य में जल परिवहन के विकास के संबंध में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने देश में कुछ जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे जलमार्गों का ब्यौरा क्या है और उनके कार्यान्वयन की राज्य-वार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ङ) क्या सरकार की देश में और अधिक जलमार्ग विकसित करने की कोई योजना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) और (ख): जी, नहीं। केरल सरकार ने राज्य में जल परिवहन के विकास के संबंध में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। तथापि, केरल सरकार ने सितंबर, 2022 में पश्चिम तट नहर के कोवल्लम से कोल्लम तथा कोझीकोड से बेकल तक के जलखंड को राष्ट्रीय जलमार्ग की उपयुक्त श्रेणी (श्रेणी-I/ श्रेणी-III) के रूप में घोषित करने के लिए कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

केरल में राष्ट्रीय जलमार्ग-3 (रा.ज.-3) को कोट्टापुरम से कोझीकोड तक राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 द्वारा विस्तारित किया गया था। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) रा.ज.-3 के तकनीकी और आर्थिक रूप से व्यवहार्य घोषित किए गए जलखंडों के विकास पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है तथा वर्तमान में और अधिक विस्तार करना व्यवहार्य नहीं है।

(ग) और (घ): जी, हां। देश में अंतर्देशीय जल परिवहन (आईडब्ल्यूटी) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 24 राज्यों में फैले 111 जलमार्गों (05 मौजूदा तथा 106 नए सहित) को राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 के तहत राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया था। राष्ट्रीय जलमार्गों की तकनीकी- आर्थिक व्यवहार्यता और विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (डीपीआर) के निष्कर्षों के आधार पर कार्गो/ यात्रियों की आवाजाही के लिए व्यवहार्य पाए गए 26 राष्ट्रीय जलमार्गों के लिए कार्य योजना तैयार की गई है। 26 राष्ट्रीय जलमार्गों का ब्यौरा **अनुबंध-1** में प्रदान किया गया है।

(ङ) और (च): वर्तमान में, जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है, सरकार का ध्यान व्यवहार्य घोषित किए गए राष्ट्रीय जलमार्गों को पूरा करने/ प्रचालनात्मक बनाने तथा अनुवर्ती चरणों में और अधिक राष्ट्रीय जलमार्गों का विकास करने पर केन्द्रित है।

अनुबंध-1

कार्गो/यात्री आवाजाही के लिए व्यवहार्य पाए गए 26 राष्ट्रीय जलमार्गों (रा.ज.) की सूची

क्र. सं.	राष्ट्रीय जलमार्ग	जलमार्गों का ब्यौरा	लंबाई (कि.मी.)	राज्य	स्थिति
1.	राष्ट्रीय जलमार्ग 1	गंगा -भागीरथी -हुगली नदी प्रणाली (हल्दिया - इलाहाबाद)	1620	उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल	विश्व बैंक की **जल मार्ग विकास परियोजना** के अंतर्गत प्राप्त सहायता के माध्यम से विकास कार्य किए गए
2.	राष्ट्रीय जलमार्ग 2	ब्रह्मपुत्र नदी (ढुबरी-सादिया)	891	असम	स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक के संदर्भ में प्रदान किए गए अनुमोदन के अनुसार विकास कार्य किए गए।
3.	राष्ट्रीय जलमार्ग 16	बराक नदी (लखीपुर-टुकर ग्राम)	121	असम	
4.	राष्ट्रीय जलमार्ग 3	वेस्ट कोस्ट नहर (कोट्टापुरम-कोल्लम), चंपाकरा एवं उद्योगमंडल नहर	205	केरल	अधिकांशत:, प्रचालनात्मक जलमार्ग तथा विकास एवं रखरखाव संबंधी कार्य किए गए।
5.	राष्ट्रीय जलमार्ग 4	कृष्णा नदी (विजयवाड़ा-मुक्तयाला)	82	आंध्र प्रदेश	
6.	राष्ट्रीय जलमार्ग 5	मंगलागढ़ी से पानकोपल से होते हुए धमरा-पारादीप	233	ओडिशा	
7.	राष्ट्रीय जलमार्ग 8	अलाप्पुझा -चंगनसरी नहर	29	केरल	
8.	राष्ट्रीय जलमार्ग 9	अलाप्पुझा -कोट्टायम -अथिरमप्पुझा नहर	40	केरल वैकल्पिक मार्ग: 11.5 कि.मी.	
9.	राष्ट्रीय जलमार्ग 27	कंबरजुआ नदी (कोर्टालिम-फेरी से साओ मार्शियस विधान परिषद)	17	गोवा	
10.	राष्ट्रीय जलमार्ग 68	माण्डोवी नदी (उसगांव ब्रिज से अरब सागर)	41	गोवा	
11.	राष्ट्रीय जलमार्ग 86	रूपनारायण नदी (प्रतापपुर से जियोनखाली)	72	पश्चिम बंगाल	
12.	राष्ट्रीय जलमार्ग 97	सुंदरबन जलमार्ग	172	पश्चिम बंगाल	

		(नामखाना से अथाराबंकी खाल)			
13.	राष्ट्रीय जलमार्ग 111	ज़ुआरी नदी (सैनवोर्डेन ब्रिज से मुरगांव पत्तन)	50	गोवा	
14.	राष्ट्रीय जलमार्ग 40	घाघरा नदी (फैजाबाद से मांझीघाट)	345	बिहार और उत्तर प्रदेश	
15.	राष्ट्रीय जलमार्ग 52	काली नदी (कडसल्ली बांध से सदाशिवगद ब्रिज, अरब सागर)	53	कर्नाटक	
16.	राष्ट्रीय जलमार्ग 44	इच्छामती नदी (गोबरा के ब्रिज से बांग्लादेश सीमा के निकट बांसझारी)	63	पश्चिम बंगाल	
17.	राष्ट्रीय जलमार्ग 57	कोपिली नदी (बनठई गांव तिनाली बस स्टॉप से चंद्रपुर नं-2 पर ब्रह्मपुत्र के संगम स्थल तक)	50	असम	
18.	राष्ट्रीय जलमार्ग 31	धनसीरी नदी (मोरोंगी टीई गांव के पुल से नुमलीगढ़ तक)	110	असम	
19.	राष्ट्रीय जलमार्ग 10	अंबा नदी (अरब सागर, धर्मतार क्रीक से नागोठाणे एसटी स्टैंड)	45	महाराष्ट्र	प्रत्यायोजित निवेश बोर्ड (डीआईबी) द्वारा चरण-I के विकास के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया।
20.	राष्ट्रीय जलमार्ग 25	चपौरा नदी (मनेरी गांव के निकट ब्रिज से मोरजिम, अरब सागर)	25	गोवा	
21.	राष्ट्रीय जलमार्ग 37	गंडक नदी (भैसालोटल बराज से हाजीपुर)	296	बिहार और उत्तर प्रदेश	
22.	राष्ट्रीय जलमार्ग 28	दाभोल क्रीक वशिष्टी नदी (दाभोल में अरब सागर से पेढ़े के पुल तक)	45	महाराष्ट्र	
23.	राष्ट्रीय जलमार्ग 73	नर्मदा नदी (पंढरिया से खंभात की खाड़ी तक)	226	महाराष्ट्र और गुजरात	
24.	राष्ट्रीय जलमार्ग 85	रेवदांडा क्रीक -कुंडलिका नदी प्रणाली (रेवदांडा में अरब सागर से रोहा नगर के निकट ब्रिज तक)	31	महाराष्ट्र	
25.	राष्ट्रीय जलमार्ग 94	सोन नदी (सोन बराज, डेहरी से गंगा के संगम स्थल तक)	141	बिहार	
26.	राष्ट्रीय जलमार्ग 100	तापी नदी (हटनूर डैम से खंभात की खाड़ी तक)	436	महाराष्ट्र और गुजरात	

*****